46

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 430–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2009 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 29 अ–27/2006–07 अपील

भैयादीन बल्द स्व. पिरगॅवा
ग्राम प्रकाश बम्होरी
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– देवीदीन 2– बाबूलाल
3– भैरवीदीन पुत्रगण परमा
ग्राम प्रकाश बम्होरी
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 4-1 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ–27/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–01–2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार जुझारनगर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर कुल किता 13 कुल रकबा 9.808 हैक्टर सामिलाती भूमि के बटवारे की मांग की । नायव तहसीलदार जुझारनगर ने प्रकरण कमांक 13 अ-27/99-2000 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनॉक 12-1-2001 पारित किया एंव उक्तांकित भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अुविभागीय अधिकारी लौड़ी के समक्ष अपील कमांक 369/2001-02 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनॉक 26-9-06 से अपील स्वीकार की एंव नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-1-01 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 29 अ-27/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-01-2009 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के आदेश दिनांक 26-9-2006 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि आवेदक ने वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व के निराकरण हेतु व्यवहार वाद कमांक 7 ए/2001 प्रस्तुत किया था तथा इस वाद में माननीय व्यवहार न्यायालय ने आदेश दिनांक 11-1-2001 से स्थगन जारी

हुआ है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय ने आदेश दिनांक 5-1-2002 से स्थगन आदेश दिनांक 11-1-2001 रिक्त. कर दिया है , किन्तु व्यवहार न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 11-1-2001 जारी होने के वाद नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12-1-2001 से बटवारे का अंतिम आदेश पारित किया है, जबकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-1-2001 में अंकित है कि (आवेदक व्दारा एक आवेदन पत्र स्थगन आदेश प्रस्तुत किये जाने वावत् प्रस्तुत किया। आदेश संलग्न नहीं। स्थगन आदेश की प्रत्याशा में कार्यवाही रोकी जाना उचित नहीं है लिहाजा आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है) अर्थात नायव तहसीलदार को बटवारा आदेश पारित करने के पूर्व यह जानकारी दे दी गई थी कि व्यवहार न्यायालय से 11-1-01 को स्थगन जारी हो चुका है किन्तु इस दिन स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि न मिलने के कारण नायव तहसीलदार को तदाशय की सूचना दी गई, परन्तु नायव तहसीलदार ने जल्दवाजी करके सूचना देने के उपरांत भी व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 11-1-2001 के वाद आदेश दिनांक 12-1-2001 से बटवारा आदेश पारित करने में त्रृटि करना परिलक्षित हुआ है।

5/ जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी व्दारा आदेश दिनांक 26-9-06 से अपील स्वीकार कर बटवारा के पूर्व की स्थिति में खाता लाये जाने का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पक्षकारों को अनुतोष प्रदान नहीं करता है बटवारा पूर्व की स्थिति में आने से उभय पक्ष वाद विचारित भूमि को प्रथक प्रथक हिस्सों में विभाजित करने से बंचित हो गये। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय

अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 26-9-06 से लिया गया निर्णय भी दोषपूर्ण है। इसी प्रकार अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ-27/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-01-2009 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर नायव तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को यथावत् रखने की भूल की गई है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ-27/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-01-2009 , अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी व्दारा अपील कमांक 369/2001-02 में पारित आदेश दिनॉक 26-9-06 तथा नायव तहसीलदार जुझारनगर व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ-27/ 99-2000 में पारित आदेश दिनॉक 12-1-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार जुझारनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि व्यवहार वाद के संतुलन को ध्यान में रखकर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर